भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †1840
दिनांक 01.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय जल जीवन कोष

†1840.श्री मुरारी लाल मीनाः
श्री जनार्दन मिश्राः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय जल जीवन कोष के अंतर्गत इसके आरंभ से अब तक कितनी निधियां प्राप्त हुई हैं;
(ख) इस संबंध में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) तथा उन्नयन के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) बाढ़ की स्थिति से किस प्रकार निपटा गया है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) भारत सरकार, देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु स्वच्छ नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यान्वित कर रही है। 'समाज को वापस देने' की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, कॉर्पोरेट्स, परोपकारी जन आदि को योगदान करने और इस आंदोलन का हिस्सा बनने में सक्षम बनाने के लिए 'राष्ट्रीय जल जीवन कोष (आरजेजेके)' की स्थापना की गई थी ताकि जल जीवन मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंशदान/दान प्राप्त किया जा सके। आरजेजेके वेबसाइट और जेजेएम मोबाइल ऐप के माध्यम से भी किए जा सकने वाले दान/अंशदान को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समर्पित वेबसाइट https://jaljeevankosh.gov.in विकसित की गई है, सीधे 29.07.2024 तक, आरजेजेके के खाते में अंशदान के रूप में 1,83,143.77/- रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

(ख) आरजेजेके से अभी तक कोई निधि आबंटित अथवा उपयोग नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

****